

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नंबर-11, जौनपुर।

मुकदमा संख्या- 239/2020

सर्वेश यादव— बनाम — स्टेट

मु0अ0सं0-80/ 2020

धारा- 186 353 504 भा0दं0सं0

थाना-सरायखाजा, जौनपुर।

दिनांक-04.04.2024

पत्रावली पेश हुई।

आवेदक/ वादी सर्वेश यादव द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि विवेचक द्वारा उक्त प्रकरण में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी गयी है। आवेदक पुलिस विवेचना से पूरी तरह संतुष्ट है। वादी मुकदमा नहीं लड़ना चाहता। याचना की गयी है कि अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार की जाय।

सुना व अवलोकन किया। वादी का बयान लिपिबद्ध किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध केस डॉयरी एवं उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन एवं समस्त तथ्यों के दृष्टिगत अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

तदनुसार अन्तिम रिपोर्ट संख्या-12/ 2020 दिनांकित 02.04.2020 स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सी0जे0एम0
जौनपुर।